प्रेषक,

तरूण कुमार सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

विषयः– <u>जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में तीन वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित स्थानान्तरण को अग्रिम एक वर्ष के लिए स्टे कराये जाने के सम्बन्ध में</u>।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में विनम्र निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार वर्ष 2021, अप्रैल माह में मेरा स्थानान्तरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–2, बुलन्दशहर में हुआ था। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर मेरा स्थानान्तरण वर्ष 2024 में होना प्रस्तावित है।

वर्तमान में मेरी पुत्री सौम्या सिंह, डी0पी0एस0 (दिल्ली पब्लिक स्कूल) बुलन्दशहर में कक्षा–9 में अध्ययन कर रही है। वर्ष 2024 के सत्र में वह कक्षा–9 उत्तीर्ण कर कक्षा–10 में आयेगी और वर्ष 2025 में वह कक्षा–10 उत्तीर्ण करेगी। हाईस्कूल परीक्षा किसी भी विद्यार्थी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक होती है, जिसके आधार पर ही उसका आगामी शैक्षिक भविष्य निर्भर करता है।

मेरे स्थानान्तरण की स्थिति में मुझे नये स्थान पर जाना होगा जहाँ मेरी पुत्री सौम्या सिंह का भी प्रवेश नये स्कूल में होगा, जहाँ उसे पूर्णतः नया परिवेश मिलेगा और वहाँ पर एडजस्ट (Adjust) करने में उसे समय लगेगा जिससे उसकी नियमित पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, जिस कारण मेरी पुत्री सौम्या सिंह की हाईस्कूल परीक्षा के प्राप्तांकों (Merit) पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्तावित स्थानान्तरण वर्ष 2024 में न किया जाकर, मुझे जनपद बुलन्दशहर में ही एक वर्ष का स्टे दिये जाने की कृपा करें, ताकि मेरी पुत्री सौम्या सिंह की कक्षा–10 की पढ़ाई पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

''ससम्मान''

भवदीय

(तरूण कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।

संलग्नक–

कक्षा–9 के पहचान पत्र एवं अंक–पत्र की छायाप्रतियाँ

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2023.12.11 14:55:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court